

न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता, धनबाद ।

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के तहत अनुमति)

एम0 आर0 केश नं0- 07 / 2023-24

-:आदेश:-

अभिलेख आज उपस्थापित । आवेदक के आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, बाघमारा से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गयी । अंचल अधिकारी, बाघमारा के पत्रांक- 560, दिनांक- 23.05.2023 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है । जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से पता चलता है कि आवेदक जगदीश प्रसाद रवानी उर्फ जगदीश प्रसाद, पिता- स्व0 अकलू रवानी, साकिम- लाठाटॉड़, थाना- राजगंज, जिला- धनबाद अपनी जमीन मौजा- झिरकीबाद, मौजा नं0- 194, गत खाता सं0- 17, 25, गत प्लॉट सं0- 143, 142, हाल खाता सं0- 55, प्लॉट सं0- 207, रकवा- 6.13 डिसमील एवं प्लॉट सं0- 220, रकवा- 4.13 डिसमील भूमि क्रेता बुगा देवी, पिता- चतुर महतो, पति- गुही राम महतो, साकिम- लाठाटॉड़, थाना- राजगंज, जिला- धनबाद को बेचने की अनुमति चाहते हैं । अंचल अधिकारी ने अपने प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है कि विक्रेता जाति के कहार एवं क्रेता जाति के कुर्मी हैं तथा दोनों एक ही थाना- राजगंज, जिला- धनबाद के निवासी हैं । जमीन रैयती खाते की है, बिक्री के पश्चात् आवेदक के पास 87 डिसमील शेष भूमि बचती है । अंचल अधिकारी के द्वारा आवेदित भूमि की बिक्री हेतु अनुमति देने की अनुशंसा भी की गयी है ।

अतः छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आवेदक को प्रश्नगत जमीन बिक्री करने की अनुमति उपायुक्त द्वारा निर्धारित दर पर की जाती है ।

लेखापित एवं संशोधित,

भूमि सुधार उप समाहर्ता,
धनबाद ।

भूमि सुधार उप समाहर्ता,
धनबाद ।